**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1022**

**3 दिसम्‍बर, 2012 को उत्‍तर के लिए**

**प्राकृतिक संसाधन**

**1022. श्री सुखेन्दु शेखर राय:**

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार वितरित किया जाए कि आने वाली पीढि़यां देश के प्राकृतिक संसाधनों के बिना न रह जाएं, के लिए किसी संवैधानिक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल)**

(क) और (ख): संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची-I की प्रविष्‍टि सं. 54 के तहत केंद्र सरकार में निहित शक्‍तियों के आलोक में सरकार ने देश में खान एवं खनिजों (ईंधन खनिजों को छोड़कर) के विकास एवं विनियमन हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 लागू किया है । सरकार ने राष्‍ट्रीय खनिज नीति, 2008 भी प्रतिपादित किया है, जिसके तहत खनिजों का परिरक्षण सुदूर भविष्‍य में उपयोग हेतु खपत अथवा संरक्षण के लिए परिवर्जन के प्रतिबंधी भाव में न होकर, सकारात्‍मक संकल्‍पना रखी जाए एवं जिससे खनन प्रणालियों में सुधार, निम्‍नस्‍तरीय अयस्‍कों का सज्‍जीकरण एवं उपयोग एवं सम्‍बद्ध खनिजों के निस्‍तारण एवं वसूली के द्वारा सुरक्षित भंडार में वृद्धि हो सके । राज्‍य सरकारें, जिनका खनिजों पर स्‍वामित्‍व है, उक्‍त अधिनियम एवं उसमें निहित नियमों एवं राष्‍ट्रीय खनिज नीति, 2008 के नीति-निर्देशक तत्‍वों के आधार पर गवेषण एवं खनन हेतु खनिज रियायत प्रदान करती है ।

(ग): उपर्युक्‍त (क) और (ख) के आलोक में प्रश्‍न नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*\*\*\*